मूर्ति मंदिर रघुनाथ जी / भंवरलाल
39/2008

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	20/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। बहस पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 12/12/22 को पेश हो।
	सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर
	12/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित। आवेदन अन्तर्गत धारा 212 अस्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी के लिए दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी— मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

प्रा.प. संख्या 51/2008

1. मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी वाके ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर, जरिये सेवायक बजरंगलाल पुत्र भजनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर
2. बजरंगलाल पुत्र भजनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर
3. भागीरथमल पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर
4. हरदेवाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर।

— प्रार्थीगण —

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राज. (मृत)

   1/1 श्रीमती तरबीनी देवी पत्नी स्व. भंवरलाल

   1/2 संजय कुमार पुत्र स्व. भंवरलाल

   1/3 अरविन्द कुमार पुत्र स्व. भंवरलाल समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राज.

   1/4 पूष्पा देवी पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी महेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.
2. मेघराज पुत्र शिव कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राज.
3. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राज.
4. विकास पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राज.
5. महिपाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राज.
6. प्रदीप पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राज.
7. तहसीलदारा सीकर (भूधारक)

— अप्रार्थीगण —

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थित वकील प्रार्थीगण – श्री महेश कुमार शर्मा

वकील अप्रार्थीगण – श्री अनिल कुमार भार्गव

निर्णय

दिनांक –

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का मय वाद के प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसर नं0 509 रकबा 22 बीघा 9 बिश्वा, ख0न0 510 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा ख0न0 511 रकबा 13 बीघा 11 बिश्वा कुल रकबा 47 बीघा 18 बिश्वा वाके ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर में मूर्ति श्री रघुनाथजी के संवत 1998 व 2011 में पुजारी मोतीराम पुत्र गंगाधर थे। संवत 2013 में इन काश्त भूमियों के काश्तकार रामकुमार पुत्र लिछमीनारायण ब्राह्मण जो काश्तकार के रूप में संवत 2020 तक चलता रहा। राजस्व अधिकारियों द्वारा पुर्णतया गलत व अवैध तरीके से राजकुमार पुत्र लिछमीनाराध ब्राह्मण ने साजिश करते हुए बिना किसी आदेश के संवत 2021 में राजस्व रेकार्ड में गलत व अवैध तरीके से खातेदार के रूप में मूर्ति मंदिर के नाम हजफ कर वर्णित काश्त भूमियों में राजकुमार पुत्र लिछमीनाराध की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। संवत 2025 में रामकुमार में फोत हो जाने पर विरासत के आधार पर वर्णित काश्त भूमियां रामकुमार के पुत्र भंवर लाल प्रतिवादी संख्या 1 नाम से बतौर खातेदार चढा दी गई यह स्थिति संवत 2036 तक चलती रही । जिसके नये ख0न0 509 के 1269 कायम हुए। तथा इन काश्त भमियों के संबंध में दो दान पत्र प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में दिनांक 30.03.1988 को निष्पादित दान पत्र रजिस्टरर्ड नं0 269 पुस्तक संख्या 1 वोल्युम न0 156 पेज नं0 175 दिनांक 30.03.1988 तथा प्रतिवादी संख्या 3 के हक में निष्पादित दान पत्र रहिस्टरर्ड नं0 268 पुस्तक सं. 1 वोल्युम संख्या 156 पेज नं0 173 दिनांक 30.03.1988 का पंजिबद्ध हुए। इन दान पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में दिनांक 08.05.1989 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से अंकन कर उनको खातेदार काश्तकार बना दिया गया, फिर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वर्णित काश्त भूमि ख0न0 509 को अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र विकय कर दिया गया और इन विकय पत्रों के आधार पर ख0न0 509 जिसके नवीन ख0न0 1269 रकबा 5.18 है0 की राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन कर खातेदार काश्तकार बना दिया गया । अतः आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 , 4, 5, 6, 7 तामिती के बावजूद अनुपस्थित रहे इनके खिलाफ इक तरफा कार्यवाही अमल लाई गई एंव अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से एड. अनिल कुमार भार्गव उपस्थिति होकर जवाब

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

आवेदन पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि आराजियात पर मूर्ति मंदिर बहैसियत, काश्तकार काबिज नहीं थे अपितु मूर्ति मंदिर की हैसियत जागिरदारी रिजम्पशन एक्ट लागु होने से पूर्व जागिरदार की थी और बतौर जागिरदार ही मूर्ति मंदिर के खाते में उक्त कृषि आराजियात दर्ज थी तथा संवत् 198 तक जागिरदार की हैसियत से ही दर्ज रही । सेटलमेंट अधिनियम लागु होने के समय मूर्ति मंदिर की हैसियत जागिरदार की हैसियत थी और विवादित कृषि आराजियात पर स्व0 रामकुमार खूद काबिज काश्त थे इसलिए रेवेन्यु अधिकारियों ने स्व0 रामकुमार को विधि के अनुसार काश्तकार घोषित कर रेवेन्यु रिकार्ड में खातेदारी स्व0 रामकुमार के नाम दर्ज कर दी तथा धारा 19 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत काश्तकार के अधिकार प्राप्त हुए। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील प्रार्थी अपने आवेदन के समर्थन में 2009(1) डीएनजे राज0 पेज 119 व 2009(1) डीएनजे राज0 पेज 287 नजीरे पेश की।

प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सूनी गई जो मुताबिक आवेदन रही। हमने बहस पर बगौर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा न्यायिक दृष्ट्यातों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है –

1. **प्रथम दृष्टया मामला** – पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 1998 एंव जमाबंदी संवत 2013–16 एंव संवत 2017–20 के अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार रहे है।
2. **सुविधा का संतुलन** – प्रार्थीगण के पूर्वज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।
3. **अपूरणिय क्षति** – उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्वतः प्रमाणित है कि प्रार्थी को अपूरणिय क्षति हो रही है।

आज्ञा

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. का बाबत विवादित भूमि खसरा नम्बर 1269 रकबा 5.18 है0 वाके कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमियों के रिकार्ड यथास्थिति तादौराने वाद बनाये रखें।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय आज दिनांक 12/12/22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर